

राजस्थान सरकार

## निदेशालय गोपालन

पशुधन भवन परिसर, टोंक रोड़, जयपुर-302015

Phone. 0141-2740819,2740519, 2744229 (T/F) 2740613, e-mail :- dir.dgs@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- एफ.वी.4(04)/निगो/प्लान/आर.के.वी.वाई./2014-15/11/7998-8040 दिनांक:- 18/8/17

1. समस्त जिला संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, कुचामन सिटी,
2. संयुक्त निदेशक, राज्य रोग निदान केन्द्र, जयपुर
3. समस्त उप निदेशक, क्षेत्रिय रोग निदान केन्द्र, पशुपालन विभाग, (राज.)।

विषय:- आर.के.वी.वाई. अन्तर्गत "प्रजनन सांड पंजीकरण एवं नकारा सांड/बछड़ा बधियाकरण" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन, मानदेय राशि के प्रावधान के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत "प्रजनन सांड पंजीकरण एवं नकारा सांड/बछड़ा बधियाकरण" कार्यक्रम में प्रोत्साहन, मानदेय हेतु निम्नानुसार राशि दिये जाने का प्रावधान रखा गया है :-


प्रजनन सांड पंजीकरण :-

• गौशाला संचालक हेतु (श्रमिक एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु) प्रोत्साहन राशि	- रु. 250 प्रति सांड
• तीन वर्षीय सांड बीमा हेतु (अधिकतम कीमत रु. 40,000/-)	- 8.29 प्रतिशत (भारत सरकार के निर्देशानुसार सेवा कर देय नहीं)
• एस.टी.डी. जांच हेतु प्रयोगशालाओं को देय राशि	- रु. 1500 प्रति सांड
• पर्यवेक्षण, पीओएल, स्टेशनरी तथा विविध सामग्री व्यय हेतु (संयुक्त निदेशक कार्यालय को प्रावधित राशि)	- रु. 450 प्रति सांड

नोट :-

1. योजना के संदर्भ में कार्यक्रम मार्गदर्शिका, प्रारूप एवं महत्वपूर्ण पत्र विभाग की वेबसाइट (gopalan.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
2. पंजीकरण अभियान 25 अगस्त से 25 सितम्बर, 2017 तक चलाया जायेगा।

निदेशक

  
निदेशक

क्रमांक:- एफ.वी.4(04)/निगो/प्लान/आर.के.वी.वाई./2014-15/11/

दिनांक:-

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर.एल.डी.बी., राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त संभागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
4. मुख्य लेखाधिकारी को भेजकर लेख है कि तदानुसार जिलों में राशि का आवंटन करावें।
5. मुख्य क्षेत्रिय प्रबंधक, नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लि0, जयपुर।
6. मण्डलीय प्रबंधक - पंचम, यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेन्स कम्पनी, जयपुर।

निदेशक